INVOICE

Date – 13/05/2024

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर

1. 641/36C
2. 658/36C
3. 640/व०प्र०

13/5/2024

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI
e_mail :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक /36 सी0 दिनांक / /2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः-- जनपद चमोली में सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.632 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्ताव सं0:-- FP/UK/ROAD/146449/2021

सन्दर्भः-- आपका कार्यालय पत्र सं0 3558/12-1 गोपेश्वर दिनांक 24.11.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित के क्रम मे सादर अवगत कराना है कि उक्त वन भूमि प्रस्ताव ऑनलाईन पोर्टल पर आपत्ति में वापस जिसके अनुपालन मे निम्नलिखित आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार निम्नवत है।

क्रम सं0	प्रस्ताव मे कमियां	निराकरण
1	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग की पिलर बंदी नही की गयी है। जिससे प्रभावित होने वाले वृक्षों की वास्तविक संख्या का पता नही लग रहा है। प्रस्तावित मोटर मार्ग का भू-चिन्हांकन व पिलरबंदी सम्पूर्ण लम्बाई में मानक के अनुसार करें ताकि वास्तविक रुप से प्रभावित वृक्षों की संख्या पता लगे व कम वृक्षों की क्षति हो। पिलर बंदी उपरान्त प्रभावित वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न किया जाये तथा वैकल्पिक संरेखण का भी पुनः परीक्षण करें।	प्रस्तावित मोटर का भू-चिन्हांकन व पिलरबंदी सम्पूर्ण ल0 मे कर दी गयी है।
2	प्रत्येक पिलर का क्रमांक सहित प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार संधारित किया जाये। (क)- प्रस्तावक विभाग 25 मी0 की दूरी पर प्रत्येक पिलरों का रिकॉर्ड रखेगा जिसमें ढाल तथा पिलरों की दूरी अवश्य अंकित की जाये। (ख)- वन विभाग प्रत्येक पिलर के मध्य प्रभावित होने वाले वृक्षों (प्रजातिवार, व्यास वर्गवार), भूमि (आरक्षित, सिविल पंचायत, नाप) का पूर्ण विवरण संधारित करेंगें।	(क)--प्रस्तावित मोटर मार्ग में लेविल पिलर एवं बैक कटिंग पीलर 25--25 मी0 दूरी पर बना दिये गये है। (ख)-- वृक्षों की सूची प्रजातिवार व्यास वार वन क्षेत्राधिकारी नारायणबगड़ द्वारा दी जानी है। जो कि आपके अधीन है।
3	प्रस्तावित मोटर मार्ग में प्रस्तावक विभाग द्वारा मलवा निस्तारण हेतु 0.31 हे0 सिविल भूमि तथा 1.322 हे0 वन पंचायत में लिया गया है। मलवा निस्तारण स्थल वन भूमि से अन्यंत्र भूमि में लिया गया।	मलवा निस्तारण हेतु नाप भूमि उपलब्ध नही हो पा रही है।
4	पूर्व निर्मित सिमली सणक्वेट मोटर मार्ग (8.8किमी0) से नाखोली की दूरी लगभग 02 किमी0 बताया गया है। प्रस्तावित का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।	प्रस्तावित मार्ग का अन्य विकल्प न होने के कारण नाखोली गॉव की आवादी जोड़ने हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है। मोटर मार्ग की ल0 2 किमी0 में प्रस्तावित है।

Scanned with OKEN Scanner

अधिशासी अभियन्ता
नि०ख० लो०नि०वि०
थराली।

पत्रांक - 658/36 ली दि. 8.5.2024

प्रतिलिपि:-- सहायक अभियन्ता प्रथम नि०ख० लो०नि०वि० थराली को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:-- कनिष्ठ अभियन्ता/खण्डीय अमीन लो०नि०वि० थराली को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
नि०ख० लो०नि०वि०
थराली।

Scanned with OKEN Scanner